निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 636) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–04/2014/1141—श्री रवि शंकर ठाकुर (आई0 डी0–3342), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित थे। तब उनके विरूद्ध अभियंता प्रमुख (उत्तर) के द्वारा दिये गये लिखित आदेश के बावजूद संवेदक को Dewatering के कार्य का आदेश न देना, कार्य की विवरणी का अभाव एवं कार्य स्थल की जानकारी न देना तथा अभियंता प्रमुख (उत्तर) द्वारा निरीक्षण के दौरान संवेदक द्वारा विपत्र देने के डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न करना आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 991 दिनांक 22.07.2014 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण की गई।

श्री ठाकुर ने अपने पत्रांक 763 दिनांक 19.02.2014 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया जिसमें निम्न बातें प्रमुखतः कही गई है।

(i) अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2013 एवं 01.12.2013 की समीक्षा एवं निरीक्षण का प्रतिवेदन तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3186 दिनांक 02.12.13 से प्रमंडल में प्राप्त हुआ। अभियंता प्रमुख द्वारा गणना के आधार पर Dewatering का प्रस्ताव माँगा गया था। जिसकी समीक्षोपरान्त विभागीय स्वीकृति होनी थी। विभागीय स्वीकृति के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित थी। अभियंता प्रमुख (उत्तर) का पत्रांक 1518 दिनांक 08.12.13 जो अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 1698 दिनांक 06.12.13 द्वारा कार्यपालक अभियंता को प्रेषित किया गया, में पृष्ठांकित है। संवेदक द्वारा नहर सूखे रहने की अवधि (13 अप्रैल से 13 जून) तक लाईनिंग कार्य नहीं किया गया। उन्हें निजी व्यवस्था से Dewatering कर नहर में लाईनिंग कार्य कराना संवेदक को इस आशय की सूचना कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक 1596 दिनांक 07.12.2013 द्वारा संवेदक को सूचित किया। उक्त पत्र के आलोक में उच्चाधिकारियों से अग्रेतर कोई दिशा–निदेश प्राप्त नहीं हुआ।

(ii) श्री ठाकुर के अनुसार वे राज्य स्तरीय बैठक में प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य विवरणों के साथ शामिल थे। प्रगति प्रतिवेदन की प्रति बैठक से पूर्व अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर को समर्पित की गई थी तथा राज्य स्तरीय बैठक में इनके द्वारा प्रमंडल से संबंधित चल रहे कार्यों एवं कार्य स्थलों की जानकारी दी गई थी।

(iii) विपत्र संवेदक द्वारा नहीं बल्कि कनीय अभियंता एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रमंडल में समर्पित किया जाता है। अभियंता प्रमुख द्वारा समीक्षा एवं निरीक्षण के दौरान संवेदक के विपत्र के संबंध में चर्चा के समय प्रमंडल के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अवर प्रमंडल पदाधिकारी से विलंब से विपत्र प्राप्त होने एवं प्रमंडल में लेखा शाखा एवं लेखा पदाधिकारी द्वारा पारित करने में लगे समय के कारण विलंब हुआ है।

श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया किः–

(i) अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा दिनांक 30.11.13 एवं 01.12.13 की समीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3186 दिनांक 02.12.13 से प्रमंडल में प्राप्त हुआ। तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 701 से 704 के बीच नहर में औसतन 4 फीट पानी भरे होने के कारण इसके Dewatering के बाद ही क्षतिग्रस्त भाग में लाईनिंग कार्य कराना संभव होता। कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता दोनों ने उद्धृत किया है कि नहर सूखा रहने की अवधि में संवेदक द्वारा लाईनिंग कार्य नहीं किया गया है। अतः लाईनिंग कार्य लंबित है। प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा Dewatering के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती थी। अतः श्री ठाकुर, कार्यपालक अभियंता पर लगाया गया आरोप कि ''अभियंता प्रमुख (उत्तर) के द्वारा दिये गये लिखित आदेश के बावजूद संवेदक को Dewatering के कार्य के लिए आदेश न देना प्रमाणित नहीं माना जाता है।''

(ii) दिनांक 18.12.2013 को प्रस्तावित राज्य स्तरीय बैठक के लिए प्रगति प्रतिवेदन पर कार्यपालक अभियंता श्री ठाकुर द्वारा दिनांक 17.12.13 को हस्ताक्षर अंकित किया गया है। श्री ठाकुर का कहना कि राज्य स्तरीय बैठक में प्रमंडल से संबंधित चल रहे कार्यों एवं कार्य स्थल की जानकारी दी गई थी लेकिन प्रगति प्रतिवेदन पर बैठक के एक दिन पूर्व श्री ठाकुर द्वारा हस्ताक्षर किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रगति प्रतिवेदन का समुचित अध्ययन नहीं किया। फलस्वरूप वे बैठक में प्रमंडल में चल रहे कार्यों के बारे में सही तथ्य नहीं रख पाये। अतः श्री ठाकुर पर लगाये गये आरोप में से कार्य की विवरणी का अभाव अप्रमाणित एवं कार्य स्थल की जानकारी नहीं होना प्रमाणित माना जाता है।

(iii) पूर्वी गंडक नहर के पुनर्स्थापन कार्य के लंबित भुगतान के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2592 दिनांक 18.09.13 जो अधीक्षण अभियंता को संबोधित है एवं जिसकी प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता को भी दी गई है।

कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1639 दिनांक 19.12.2013 द्वारा सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी को गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य के अन्तर्गत कराये गये सभी कार्यों का विपत्र अविलंब समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि अभी भी कराये गये सभी कार्यों का विपत्र अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। इससे भुगतान में विलम्ब परिलक्षित होता है। कार्यपालक अभियंता ने क्षतिग्रस्त कार्य को Restore करने के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की है। भुगतान की पूरी जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की है। अतः उन पर यह लगाया गया आरोप कि अभियंता प्रमुख (उत्तर) द्वारा निरीक्षण के दौरान संवेदक द्वारा विपत्र देने के डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न करना प्रमाणित माना जाता है।

प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवि शंकर ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है।

(i) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रवि शंकर ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

(i) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 636-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in